प्रारुप–5

परियोजना का विवरणः– माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–305/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत शिवपुरी से जाजल तक रोड का डबल लेन में निर्माण कार्य। (लम्बाई 7.25 कि0मी0)

परियोजना की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति का प्रमाण–पत्र

शासनादेश संख्या 1730/111(2)/14–03(मु0मं0घो0)/2014 दिनांक 24 सितम्बर 2014 द्वारा 25.00 कि0मी0 लम्बाई हेतु रू0 243.54 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त है। (छायाप्रति संलग्न)

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर।

प्रेषक

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक 24 सितम्बर, 2014

विषय:– वित्तीय वर्ष 2014–15 में लोक निर्माण विभाग में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत विभिन्न 15 कार्यो की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न 15 कार्यो के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 73.163 किमी0 + 04 सेतु सहित तथा लागत ₹ **1314.02** लाख है, पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ **1311.21** लाख (₹ तेरह करोड़ ग्यारह लाख इक्कीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में संलग्नक के कॉलम सं0–5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात कुल 15 कार्यो हेतु ₹ **1.50** लाख (₹ एक लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i)– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:–1764/III(2)/10–17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 के प्राविधानानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार सक्षम अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टया के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरे मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)– स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:– 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों मे एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0–22–लेखाशीर्षक–5054 सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सडकें– आयोजनागत–800–अन्य व्यय–05–सडक/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण –00–24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय–व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

3304
16/10/14

संख्या 3304/100 सी./2014 प्रतिलिपि, 20.10.14
प्रतिलिपि अ.अ. प्रा.खं. टिहरी/नरेन्द्रनगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रति ... को 50 सी. ... प्रमाणित ...

अधीक्षण अभियन्ता
5 वां वृत्त ...

शासनादेश संख्या– /111(2)/14-03(मु0म0घो0)/2014 दिनांक सितम्बर, 2014 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 स0	कार्य का नाम	लम्बाई किमी0 में	टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–305/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत शिवपुरी से जाजल तक रोड का डबल लेन में निर्माण कार्य।	25.00	**243.54** (₹ 141.18 लाख + ₹ 102.36 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
2	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–253/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत राजकीय पॉलीटेक्निक कुमारधार से जाखणीधार तक मोटर मार्ग का नव निर्माणकार्य।	1.50	**16.28** (₹ 8.78 लाख + ₹ 7.50 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
3	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–254/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत टिपरी रौडधार, मोटर मार्ग से सोरयो टिपरी मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	4.00	**67.70** (₹ 23.40 लाख + ₹ 44.30 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
4	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–256/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत कोट से खिटवाड़ी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5.00	**54.25** (₹ 29.25 लाख + ₹ 25.00 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
5	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–257/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत टिपरी काण्डीखाल मोटर मार्ग से उठड़ तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	4.00	**133.40** (₹ 23.40 लाख + ₹ 110.00 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
6	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–258/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत सैंण से रगड़ाभट्ट गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	1.00	**10.85** (₹ 5.85 लाख + ₹ 5.00 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
7	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–259/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत नन्दगांव से मठियाली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	5.00	**173.50** (₹ 29.25 लाख + ₹ 144.25 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
8	मा. मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–292/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट में बैजनाथ–बागेश्वर मोटर मार्ग के कि.मी. 17 से मन्यूडा होते हुए नरगवाडी 03 कि.मी. लिंक मोटर मार्ग का कार्य।	3.00	**43.25** (₹ 17.55 लाख + ₹ 25.70 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10

शासनादेश संख्याः– [illegible] /III(2)/14–03(मु0मं0घो0)/2014 दिनांक 24 सितम्बर, 2014

9	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा 110/2014 के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र बद्रीनाथ के अन्तर्गत ल्वां–दिगोली मोटर मार्ग से ग्राम मेहरगांव तक सम्पर्क मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	1.50	16.88 (₹ 8.78 लाख + ₹ 8.10 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)
10	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–215/2014 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में डोलमाबैण्ड से गैला स्कूल तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3.00+ 1 Bridge	25.43 (₹ 18.95 लाख + ₹ 6.48 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)
11	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–215/2014 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी में मिलम मोटर मार्ग से क्वीरीजिमिया–साइपोलों तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	10.00+ 1 Bridge	83.67 (₹ 62.07 लाख + ₹ 21.60 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)
12	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–216/2014 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी में बलोटा से जलथ तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4.00	32.04 (₹ 23.40 लाख + ₹ 8.64 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)
13	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–217/2014 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में अन्धेरीघाट से टाँगा–दानीबगड–भिकुरिया–बिन्दी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	6.00+ 2 Bridge	52.26 (₹ 39.30 लाख + ₹ 12.96 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)
14	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–24/2014 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र राजपुर के अन्तर्गत घण्टाघर में सब वे/फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य।	0.109	168.80 (₹ 4.36 लाख + ₹ 164.44 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)
15	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–26/2014 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र राजपुर के अन्तर्गत एस्लेहाल तिराहे पर सब वे/फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य।	0.074	189.36 (₹ 2.96 लाख + ₹ 186.40 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)
	योगः–		
		73.183 + 04 Brg	1311.21 (₹ 438.48 लाख + ₹ 872.73 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)

(कुल ₹ एक लाख पचास ह

(ए0एस0 पांगती
उप सचिव